प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक)
विश्वकर्मा भवन, ए विंग, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली – 110016

सं. टाइफैक/एडमिन/01/डिस्पोजल ऑफ न्यूजपेपर – 2019 10 मई, 2019

## कुटेशन आमंत्रण सूचना (एन.आई.क्यू.)

प्रति –
स्थानीय जांच के माध्यम से चिह्नित सूची के अनुसार

विषयः प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक), विश्वकर्मा भवन, ए विंग, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 से पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान हेतु सील बंद कुटेशन आमंत्रित करना

कार्यपालक निदेशक, टाइफैक की ओर से, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) विश्वकर्मा भवन, ए विंग, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016 द्वारा पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान हेतु ऑफलाइन सीलबंद कुटेशंस आमंत्रित किए जाते हैं । टाइफैक से पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार, आपके कुटेशंस एजेंसी (फर्म के मामले में) के पत्रशीर्ष (लैटर हैड) पर सील बंद लिफाफे में प्रभारी (वित्त एवं प्रशासन) टाइफैक, नई दिल्ली को 23 मई, 2019, 3.00 बजे मध्याह्न तक पहुंच जाना चाहिएं । कुटेशन में पत्र संख्या और इस एन.आई.क्यू. की तारीख का उल्लेख किया जाए । कुटेशन उसी दिन 23 मई, 2019 को,3.30 बजे मध्याह्न को ऐसे बोलीदाताओं (बिडर्स) के सामने खोली जाएगी जो निविदा खुलने के समय उपस्थित रहना चाहेंगे कवर पर स्पष्ट रुप से 'पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान हेतु कुटेशन' लिखा होना चाहिए ।

2. एन.आई.क्यू. की शर्तें निम्नलिखित हैं :

i) अपने कुटेशंस भेजते समय फर्में/एजेंसियां व्यक्तिगत मामलों में अपना पहचान प्रमाण/आवास प्रमाण जैसे आधार कार्ड/ पहचान पत्र/पासपोर्ट/वाहन चालन लाइसेंस/वोटर आई.डी. और फर्म के मामले में अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करेंगीं । एजेसियों/फर्मों को प्रस्ताव दो लिफाफों में भेजने होंगे ।

ii) पहले लिफाफे में व्यक्तिगत मामले में पहचान प्रमाण/आवास प्रमाण जैसे आधार कार्ड/पहचान पत्र/पासपोर्ट/वाहन चालन लाइसेंस/वोटर आई.डी. की स्वयं सत्यापित प्रति और फर्म के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और धरोहर राशि के रुप में टाइफैक के नाम नई दिल्ली पर देय 1000/-(एक हजार रुपये केवल) का मांग ड्राफ्ट संलग्न करना होगा ।

iii) दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली (बिड) / कोट होंगे जिनका विवरण अनुलग्नक -1 में दिया गया है ।

iv) पहला लिफाफा पहले खोला जाएगा एवं वे बोलीदाता जिन्होंने व्यक्तिगत मामले में आधार कार्ड/पहचान पत्र/पासपोर्ट/वाहन चालन लाइसेंस/वोटर आई.डी. और फर्म के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ धरोहर राशि के रुप में टाइफैक के नाम से नई दिल्ली पर देय 1000/-रुपये (एक हजार रुपये केवल) का मांग ड्राफ्ट संलग्न किया होगा, वे दूसरा लिफाफा जिसमें वित्तीय बोली/कोट होंगे, उसे खोलने के पात्र होंगे ।

v) सबसे अधिक वित्तीय बोली लगाने वाली फर्म को पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागज प्रदान किये जायेंगे ।

vi) दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर 'पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान हेतु कुटेशन' लिखा जाएगा ।

vii) सफल बोलीदाता को पत्र जारी होने और बोली की स्वीकृति के पांच दिनों के भीतर नकद के रुप में या टाइफैक के नाम, नई दिल्ली पर देय मांग ड्राफ्ट के द्वारा बोली की राशि जमा करनी होगी ।

viii) सफल बोली दाता को धरोहर राशि, बिक्री राशि जमा होने के बाद ही जारी की जाएगी ।

ix) सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी अगर फर्म बोली को सम्मान देने में असफल सिद्ध होती है । असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि बिक्री प्रक्रिया के बाद ही लौटाई जाएगी ।

x) पुराने अखबारो, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों का निपटान ''जैसा है, जहां है'', आधार पर किया जायेगा और उनकी उपयोगिता अथवा गुणवत्ता के बारे में टाइफैक द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जायेगी । यदि बोलीदाता इच्छुक हों तो वे हस्ताक्षरकर्ता से टेलीफोन नं.

011-42525644/42525622 पर पहले अनुमति लेकर किसी भी कार्य दिवस में 10.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच टाइफैक में उपलब्ध सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं ।

xi) सफल बोलीदाता को ही डिजीटल वेट मशीन लाने का दायित्व लेना होगा और टाइफैक में पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों को तोलना होगा ।

xii) सफल बोलीदाता को राशि जमा करने के पांच दिन के भीतर बिके हुए पुराने अखबार, पत्रिकाओं और रद्दी कागज अपने खर्चे पर ले जाने होंगे ।

xiii) बोलीदाताओं को अपनी बोलियां (बिड्स) वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । बोली की वैद्यता, बोली खोलने की तारीख के 90 (नब्बे) दिनों तक होगी ।

xiv) टाइफैक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी समय/ अवस्था में एन.आई.क्यू. को रद्द/शिथिल/संशोधित/ किसी भी शर्त को हटा सकता है । कुटेशन भेजने के बाद किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा ।

xv) अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्राप्त बोलियां निरस्त कर दी जायेंगी । एन.आई.क्यू. को टाइफैक की वेबसाइट : www.tifac.org.in से डाऊनलोड किया जा सकता है । इस एन.आई.क्यू. से संबंधित किसी शुद्धिपत्र से संबंधित सूचना केवल टाइफैक की वेबसाइट : www.tifac.org.in पर ही जारी की जाएगी ।

3. कुटेशन प्रभारी (वित्त एवं प्रशा.), टाइफैक, नई दिल्ली को 23 मई, 2019, 3.00 बजे मध्याह्न तक सीलबंद लिफाफे में भेजी जाएगी जिस पर 'पुराने अखबारों, पत्रिकाओं और रद्दी कागजों के निपटान के लिए कुटेशन' लिखा होगा और उन्हें निर्धारित समय अवधि में टाइफैक नई दिल्ली के प्रथम तल पर रखे निविदा (टेंडर) बॉक्स) में भी डाला जा सकता है । निर्धारित समयवधि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

(एस.के. वशिष्ठ)
परामर्शदाता

अनुलग्नक –I

प्रपत्र (यह कुटेशन भेजने वाली एजेंसी के लैटर हैड पर होना चाहिए)

पत्र सं. दिनांक : 10.05.2019

प्रति –
प्रभारी (वित्त एवं प्रशा.)
टाइफैक
विश्वकर्मा भवन, शहीद जीत सिंह मार्ग
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली – 110016

महोदय,

कृपया टाइफैक के दिनांक 10 मई, 2019 के पत्र सं. टाइफैक/एडमिन/01/पुराने अखबारों का निपटान-2019 के संदर्भ में एन.आई.क्यू. से संबंधित हमारी कुटेशन प्राप्त करें ।

| क्र.सं. | मदों का विवरण | प्रति किलोग्राम दर रुपयो में | रुपये शब्दों में |
|---|---|---|---|
| 1. | पुराने अखबार | | |
| 2. | पत्रिकाएं एवं रद्दी कागज | | |

मैं दिनांक 10 मई, 2019 के पत्र सं. टाइफैक/एडमिन01/पुराने अखबारों का निपटान -2019 द्वारा जारी एन.आई.क्यू. में वर्णित शर्तों को स्वीकार करता हूं ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम, स्टांप एवं तारीख सहित